

23-04-18

अभिलेख उपस्थापित । प्रथम
पत्र उपस्थित दिनांक पत्र अन्तर्गत ।
उक्त वाद में 6(ई) भाग की अवधि
पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद
कालबाधित हो गया है। अतः
वाद में अभिलेख की कारवाय बन्द
की जाती है।

23/4/18

प्रभारी
राहे ओ० पी०
(राँची)

26-2-2018
सए उच निच
राहे ओ० पी०